न्यायालय मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

अपील संख्या– 19/2014–15 अन्तर्गत धारा–56 स्टा0अधि0

रियासत अली पुत्र इरशाद अली, निवासी–ग्राम खेमपुर, थिथौला, परगना मंगलौर, तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता अपीलार्थी	:	श्री मौहम्मद कामिल।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री विनोद कुमार डिमरी , जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व

निर्णय

उपरोक्त अपील अपीलकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर, वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार द्वारा स्टाम्प वाद संख्या–539/एम0वी0/13–14 अन्तर्गत धारा 47ए/33/40ख स्टाम्प अधिनियम सरकार बनाम रियासत अली में पारित आदेश दिनांक 07–01–2015 के विरूद्ध मुख्य रूप से इस आशय से योजित की गई है कि खसरा संख्या 648/1 क्षेत्रफल 470.26 वर्गमीटर स्थित ग्राम लाण्ढौरा कस्बा लण्ढौरा से आगे लण्ढौरा–लक्सर रोड पर 100 मीटर से अधिक की दूरी पर है जिसके अनुसार निर्धारित सर्किल रेट रू0 1550/– की दर से स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है परन्तु आक्षेपित आदेश के द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से रू0 6000/– प्रति वर्गमीटर की दर से रूड़की की ओर से नगला इमरती तक की दर लगायी गयी है।

अपील की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि:–

अपीलकर्ता ने ग्राम बिझौली परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में लक्सर रोड़ स्थित भूमि 470.26 वर्गमीटर विक्रेता मौहम्मद मुस्तफा पुत्र रहमत इलाही से दिनांक 06–07–2013 को क्रय की गई। ताकिर पुत्र हसन निवासी–लण्ढौरा द्वारा उप जिलाधिकारी, रूड़की को एक शिकायत उक्त विक्रय में स्टाम्प चोरी विषयक दिनांक 15–03–2013 (तिथि सम्भवतः त्रुटिपूर्ण) की गई जिस पर उप जिलाधिकारी, रूड़की ने तहसीलदार, रूड़की से जांच करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार, रूड़की ने उक्त शिकायत को दिनांक 19–09–2013 को सम्बन्धित नायब तहसीलदार को पृष्ठांकित किया। अंततः क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों/अधिकारियों द्वारा स्टाम्प कमी का प्रकरण पाया गया। तद्नुसार उप जिलाधिकारी,

जंहा तक अर्थदण्ड का प्रश्न है अर्थदण्ड के औचित्य के सम्बन्ध में कोई कारण नही अंकित किया गया है परन्तु स्टाम्प शुल्क का अपवंचन तो हुआ ही है। फिर भी अपीलकर्ता के ग्रामीण परिवेश का होने एवं इस सम्बन्ध में उसके द्वारा विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सलाह के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सम्भावना से इंकार न किये जाने के दृष्टिगत अर्थदण्ड की राशि कम किये जाने योग्य है एवं विद्वान अपर कलेक्टर द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की राशि आधी किये जाने योग्य है।

आदेश

अपील अस्वीकृत की जाती है तथापि अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 07–01–2015 में आरोपित अर्थदण्ड की राशि आधी की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 13–06–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)